

// निर्णय //

Sum.... 2.10/22.....

(आज दिनांक 4.11.22 को घोषित किया गया)

01. आरक्षी केंद्र पथरिया जिला दमोह द्वारा अभियुक्त पटेल - 55 वर्षीय श्री. केवलजी बड़ी 810 उद्देत कुर्सी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।
02. प्रकरण में अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढकर सुनाये समझाए जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
03. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवदेन एवं सहपत्रों तथा अभियुक्त द्वारा की गई, स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।
04. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में परीविक्षा अधिनियम के अंतर्गत, परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।
05. अतः अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास और के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
06. अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
07. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 26 लाख 81 हजार 200 आबकारी विभाग को वापिस सौंपी जाये।

स्थान:-पथरिया

दिनांक:- 4.11.22

मेरे निर्देश पर टंकित।

Rajendra Barmun
राजेंद्र बर्मन
04/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया जिला दमोह(म.प्र.)